

27/2/2020

1108  
श्री


पत्रावली पेशा डुरी/उग्रपक्ष के वकील उपस्थित।  
उग्रपक्षों की वरस सुनी गई। पत्रावली का एवं  
वकील अपीलान्त ही डोर से प्रस्तुत पं० विधीका  
की स्थापना समिति की बैठक कार्यवाही विधायक दिनांक  
8/6/2018 में लिख गये प्रस्ताव सं० 02 में लिख गये  
धारित निर्णय एवं उससे आधार पर विकास अधिकारी  
पं० विधीका के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 850  
दिनांक 8/6/2018 का दयानन्द अपलोडमें किया  
गया है।

शुद्धी अपीलान्त जिस पत्रों को चिरस्त  
कराने के लिए सा अपील पेश की गई है।  
पहले की स्थापना समिति पं० विधीका  
की बैठक दिनांक 8/6/2018 का निर्णयानुसार  
विकास अधिकारी पं० विधीका के उनसे  
आदेश दिनांक 850 दि० 8/6/2018 के द्वारा  
शुद्धी पुष्पावा के ख० नं० 3057 आबादी

में दिनांक 31.7.2017 का वसंतीदेवी पति  
रत्नलाल नारि का जा.पं. चुनाव।  
शिरा आपसीय पत्रा दिया गया था। उस  
निरस्त करने के आदेश दिए गए है। ऐसी  
स्थिति में अब इस प्रकटा में अग्रिम डिडी  
कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः इस प्रकटा की कार्यवाही का  
शेष करने के आदेश दिए जाते है। आदेश  
आज दिनांक 27/2/2020 को लिखवाया जाकर  
बुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रापत्नी फैसल में कुमार डोर नम्बर  
से कम की जावे।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दुर्गापुर

